

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (दो) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21(1904 का 1) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 521/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------|-----------------|
| "6A | 5801 | कॉरडरॉय कपड़े". |

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।


(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0838/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।


अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव


6716
25/10/2017

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. ⁸³⁸2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated ²⁵October, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. ⁸³⁸2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: ²⁵October, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 521/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017; namely:-

1. In the said notification, in the Table, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------|--------------------|
| "6A | 5801 | Corduroy fabrics." |

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from 22nd day of September, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

